न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/244

मिसलनम्बर–73 / 2024

धन्नालाल पुत्र स्व0 श्री राधाकिशन जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1.श्रीमती कन्या बाई पत्नी स्व० रामनारायण जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

2.पन्नालाल पुत्र स्व0 श्री राधाकिशन जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

3.मथुरालाल पुत्र स्व0 श्री राधाकिशन जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

4.मांगीलाल पुत्र स्व0 श्री राधाकिशन जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

5.महेन्द्र पुत्र श्री मांगीलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

6.रामचन्द्र पुत्र स्व0 श्री राधाकिशन जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

7.स्व0 रामरूप पुत्र स्व० श्री राधाकिशन जी जाति मीणा निवासी कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–

7 / 1.रमेश पुत्र स्व0 श्री रामरूप

7 / 2.भरत पुत्र स्व0 श्री रामरूप

7 / 3.श्रीमती भरोसी बाई पत्नी स्व0 रामरूप

जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

8.श्रीमती नन्द कंवर पुत्री स्व० श्री राधाकिशन जी ,पत्नी जवाहरलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम बालापुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

9.दी स्टेट ओफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाड़पुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 8/10/24

उपस्थितिः–

1.श्री अनुराग गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थी।

2.श्री प्रमोद कुमार कुशवाह अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1,2,3,6 व 7

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण एवम् प्रतिपक्षीगण नम्बर 1 प्रार्थी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा का स्थायी निवासी है एंव व्यवसाय से काश्तकार है। प्रार्थी एंव प्रतिपक्षीगण नम्बर 1 लगायत 8 खातेदार स्व0 श्री राधाकिशन जी आत्मज श्री गोपाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के परिवार के सदस्य है। प्रार्थी के पिता श्री राधाकिशन जी पुत्र श्री गोपाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में निम्न विवरण की 12 किता की 4–55 हेक्टर भूमि स्थित थी। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में भी श्रीराधाकिशन जी उपरोक्त वर्णित आराजी के खातेदार कृषक दर्ज थे। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है– खसरा नम्बर 117 रकबा 0–06 हेक्टर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0–22 हेक्टर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0–05 हेक्टर, खसरा नम्बर 153 रकबा 0–05 हेक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0–69 हेक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0–67 हेक्टर, खसरा नम्बर 255 रकबा 1–02 हेक्टर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0–76 हेक्टर, खसरा नम्बर 260 रकबा 0–53 हेक्टर खसरा नम्बर 261 रकबा 0–16 हेक्टर खसरा नम्बर 262 रकबा 0–15 हेक्टर खसरा नम्बर 263 रकबा 0–19 हेक्टर कुल 12 किता की 4–55 हेक्टर। प्रार्थी के पिता श्री राधाकिशन जी, प्रार्थी एंव समस्त पक्षकारान जाति से मीणा है, मीणा जाति राजस्थान में एक अनुसूचित जन जाति है। अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण नम्बर 1 लगायत 8 जाति मीणा होने से अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति होने से उन पर उत्तराधिकार के सम्बन्ध में ओल्ड हिन्दू ला (शास्त्रिक हिन्दू ला) के प्रावधान लागू होते हे। ओल्ड हिन्दू ला के प्रावधानों के अन्तर्गत पुरूष खातेदार की मृत्यु हो जाने पर पुत्र की मौजूदगी में पुत्री को हक विरासत उत्तराधिकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। पुत्र पौत्र, प्रपोत्र, विधवा पत्नी, मृतक पुत्र की पत्नी, मृतक पुत्र के मृतक पुत्र की पत्नी नहीं होने की सूरत में पुत्री को हक विरासत प्राप्त होता है। प्रार्थी के पिता खातेदार श्री राधाकिशन जी पुत्र श्री गोपाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की सन 1996 के लगभग मृत्यु हो गयी थी। राधाकिशन जी की मृत्यु के समय उनके सात पुत्र क्रमश धन्नालाल, रामनारायण, पन्नालाल, मथुरालाल, मांगीलाल, रामचन्द्र एवं रामरूप जीवित थे तथा एक पुत्री नन्द कंवर जीवित थे। राधाकिशन जी के स्वर्गवास के बाद राधाकिशन जी के पुत्र रामनारायण एवं रामरूप की मृत्यु हो चुकी है। रामनारायण के कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी श्रीमती कन्या बाई (प्रतिपक्षी नं० 1) उसकी एक मात्र उत्तराधिकारी है। रामरूप के उत्तराधिकारी एवं वारिस उसके दो पुत्र क्रमशः प्रतिपक्षी नं0 7/1 रमेश, 7/2 भरत एवं श्रीमती भरोसी बाई पत्नी स्व0 रामरूप है। राधाकिशन जी खातेदार की मृत्यू हो जाने पर, पक्षकारान जाति से मीणा होने से अनुसूचित जन जाति के सदस्य होने से राधाकिशन जी की पुत्री प्रतिपक्षी नं० 8 श्रीमती नन्द कंवर को हक विरासत प्राप्त नहीं होता है। राधाकिशन जी की पत्नि की भी मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण के पिता खातेदार श्री राधाकिशन जी की मृत्यु होने पर उनके खाते व कब्जे की उपरोक्त भूमि बाबत राधाकिशन जी का फोती नामान्तरकरणं सं० 41 दिनांक 25–5–2000 ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा प्रार्थी को सूचना दिये बिना ही प्रार्थी की अनुपस्थिती में उनके सातों पुत्रों के साथ उनकी पुत्री श्रीमती नन्द कंवर बाई प्रतिपक्षी न० 8 के पक्ष में सर्वथा गलत, त्रटि पूर्ण रूप से तस्दीक किया गया है। जो विधि विरूद्ध होने से प्रभावशून्य है तथा राधाकिशन जी की वारिसान प्रार्थी एवं दीगर पुत्रों व उनके वारिसान प्रतिपक्षीगण नं० 1 लगायत 7 के विरूद्ध बेअसर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

से निरस्त किये जाने योग्य है। ओल्ड हिन्दू ला के प्रावधानों के अनुसार खातेदारान राधाकिशन जी की मृत्यु हो जाने पर उनका फोती नामान्तकरण केवल सातों पुत्रों के नाम समभाग से 1/7, 1/7 हिस्से अनुसार तस्दीक किया जाना चाहिये था परन्तु राधाकिशन जी का फोती नामान्तकरण सातों पुत्रों व एक पुत्री नन्द कंवर के नाम समभाग से 1/8, 1/8 हिस्सेनुसार तस्दीक किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उपरोक्त अवैध एंव प्रभावशून्य नामान्तरकरण से प्रतिपक्षी नं० 8 श्रीमती नन्द कंवर को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थी एवं दीगर प्रतिपक्षीगण के हक हकूक 1/7, 1/7 हिस्से पर पूर्ववत विद्यमान रहते है। वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में राधाकिशन जी के पांचों जीवित पुत्रों, मृतक दो पुत्रों के वारिसान एंव पुत्री के खाते समभाग से 1/8, 1/8 हिस्सा दर्ज है। उक्त इन्द्राज सर्वथा अवैध एंव त्रुटि पूर्ण होने से प्रभावशुन्य होने से निरस्तनीय है। उपरोक्त भूमि केवल सातों पुत्रों के खाते समभाग से अर्थात् 1/7, 1/7 हिस्सानुसार दर्ज की जानी चाहिए थी। राजस्व अभिलेख व जमाबन्दी के उक्त इन्द्राजात प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण नम्बर 1 लगायत 7 के हितों के विरूद्ध बेअसर है। प्रतिपक्षी नं० 8 का वाद विषयक भूमि पर कब्जा नहीं है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में उसके नाम के त्रुटि पूर्ण इन्द्राजात से प्रतिपक्षी नं0 8 को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थी ने प्रतिपक्षी नं० 8 से उसका नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी से हटवाने के लिये दिनांक 15–7–2024 को कहा तो प्रतिपक्षी नं0 8 ने इन्कार कर दिया तथा शीघ्र ही उसके नाम दर्ज 1/8 हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने एंव अन्य प्रकार से अन्तरित करने की प्रार्थी को धमकी दी। यदि प्रतिपक्षी न० 8 को उक्त अवैध कृत्य करने से नहीं रोका गया तो इससे प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थी का दावा पेश करना बेकार हो जावेगा। प्रार्थी का केस प्राईमा फैसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण खसरा नम्बर 236 की 0–67 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 153 की 0–05 हेक्टर में से आधी भूमि जिस पर प्रार्थी का मकान निर्मित है वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा से बेदखल नही करे। वर्णित भूमियों को अथवा उसके किसी भी भाग की भूमि को रहन बेचान व अन्तरण नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे। प्रार्थी को उपरोक्त भूमि पर शांति पूर्वक काश्त करने देवे। भूमि व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये।

अप्रार्थीगण नं0 4 व 8 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये अतः अप्रार्थी नं0 4 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी नं0 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किये जाने के कारण जवाब का अवसर बंद किया गया।

अप्रार्थीगण 1, 2, 3, 6, 7/1, 7/2, 7/3 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मं अंकित कथन कि राधाकिशन जी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर पक्षकारान जाति से मीणा होने से अनुसुचित जनजाति के सदस्य होने से राधाकिशन की पुत्री प्रतिपक्षी कम 8 श्रीमति नन्द कंवर को हक वारिसान प्राप्त नही होता हे जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में जो मौखिक पारिवारिक विभाजन के अनुसार हिस्सा अंकित किया गया वह स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थी के पिता व प्रतिपक्षी कम 2 के पिता स्वर्गीय राधाकिशन जी की मृत्यु के बाद मृतक राधाकिशन जी के उत्तराधिकारियों में समान समान हिस्से का विभाजन नही हुआ है, विवादित कृषि आराजी के समान हिस्सा नही है व विवादित कृषि आराजी की किस्म व मौका स्थिति में परिवर्तन है। प्रार्थी का कोई प्राईमा फैसाई केस नही है, और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष

उपखण्ड अधिकारी
को.

ही है तथा प्रार्थी को किसी प्रकार की अपरिमित क्षति होने की सम्भावना नही है। अतः जवाब कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।
प्रार्थना पत्र–जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

बहस प्रार्थना–पत्र सुने जाने के पश्चात् पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस के तर्को पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन अनुसार हम पाते है कि उभय पक्षकारान उपरोक्त वर्णित आराजी के सहखातेदार है। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से इस बात की पुष्टि होती है कि विवादित आराजी के खातेदारों के मध्य भूमि का विभाजन नही हुआ है। यदि अप्रार्थीगण के द्वारा वाद ग्रस्त आराजी पर बिना विभाजन करवाये उसके किसी भी विशेष भाग को दान, रहन, बेचान करते हुये खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। चूंकि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दष्टया मामला बनना पाया जाता है जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है यदि दौराने वाद उक्त विवादित आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो अप्रार्थीगण के बजाय प्रार्थी को अधिक असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। दौराने वाद पक्षकारान के हक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है,जहां तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है, जहां तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है, चूंकि प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया गया है। अतः अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के उक्त आराजी में निहित अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यहां इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तो मात्र सुविधा के संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर ही विचार किया जा रहा है जो कि प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में प्रमाणित है। यदि अप्रार्थीगण के द्वारा वाद ग्रस्त आराजी पर बिना विभाजन करवाये उसके किसी भी विशेष भाग को दान, रहन, बेचान करते हुये खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को विवादित आराजी में अपने निहित अधिकारों से वंचित रहना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित खसरा नम्बर 236 की 0–67 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 153 की 0–05 हेक्टर में से आधी भूमि जिस पर प्रार्थी का मकान निर्मित है, से प्रार्थी को बेदखल नही करे। उभयपक्षकारान वर्णित भूमियों को अथवा उसके किसी भी भाग की भूमि को रहन बेचान व अन्तरण नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे। प्रार्थी को उपरोक्त भूमि पर शांति पूर्वक काश्त करने देवे। भूमि व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 8/10/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा